भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2917

उत्तर देने की तारीख-26/03/2025

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

2917 **श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में स्वीकृत पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना विद्यार्थियों को संपार्श्विक-मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण प्राप्त करने में किस हद तक मदद करती है;
(ख) क्या यह सच है कि इस उद्देश्य हेतु चालू वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं;
(ग) इस योजना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; और
(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें किसी प्रकार की वरीयता दी जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): पीएम विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी विद्यार्थियों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं।

इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना में 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट दी जाती है। अधिकतम एक लाख नए छात्रों को, जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता नहीं मिल रही है, यह ब्याज सहायता मिलेगी। यदि ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए नए आवेदकों

की संख्या एक लाख से अधिक हो जाती है, तो समान अंतर-राज्यीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के आधार पर राज्यों में अखिल भारतीय स्लॉट वितरित किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान अधिकतम 7 लाख नए छात्रों को 3% ब्याज सहायता का लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए, योजना के दिशा-निर्देश शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/PM_Vidyalaxmi_Scheme_Guidelines.pdf पर पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ से अनुरोध किया गया है कि वे सभी सदस्य बैंकों को ये दिशा-निर्देश परिचालित करें।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को उच्च अध्ययन करने से न रोक सकें। पीएम विद्यालक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से उत्पन्न एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्था (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा, ताकि वह पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षण शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर कर सके। इस योजना को एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा जो अंतर-संचालन योग्य और पूरी तरह से डिजिटल होगी।

एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए है। इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और पात्र छात्रों, जिनमें ग्रामीण और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हैं, को पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में मदद करना है।

डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए गुणत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र (एससी/एसटीऔर ओबीसीसहित) यह लाभ उठा सकते हैं।

******